

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

कार्यालय—निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।
(द्वितीय तल, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना)

सूचना

बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 2407/2007 के आधार पर सहकारिता विभाग अन्तर्गत "अंकेक्षक" के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित एवं दिनांक 04.04.16 से 08.04.16 तक आयोजित शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों के सत्यापन कैंप से **अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों** को एक और अवसर प्रदान करते हुए निदेशित किया जाता है कि वे निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उनके शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों के सत्यापन तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त (Character & Antecedents) के सत्यापन हेतु विहित सत्यापन प्रपत्र में ब्योरा तथा शपथ-पत्र समर्पित करने हेतु उपस्थित हो सकते हैं -

तिथि, समय एवं स्थान	अनुक्रमांक				
28.06.2016 (11:00 AM to 2:30 PM) प्रशाखा-5/नि. (कमरा सं.-261) कार्यालय—निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।	11321561	11925200	10120257	10525115	11220731
	11925206	11120149	11422379	11220986	11422431
	11028807	12026256	11724102	12127257	12026812
	10928245	11724167	11120426	11724212	11523308
	11824583	11422443	11925740	10222010	32 अभ्यर्थी
	12026107	10120423	10323531	11623627	
	11120267	11523249	11220971	11422798	

प्रमाण-पत्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति तथा उनकी दो-दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ अपने साथ अनिवार्य रूप से लायें।

1. मैट्रिक, इन्टर मिडिएट एवं स्नातक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र
2. अगर अभ्यर्थी पूर्व से किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालय में कार्यरत हों तो नियोक्ता (Employer) से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Objection Certificate)
3. सक्षम प्राधिकार (बिहार राज्य के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम अंचल अधिकारी तथा अन्य राज्य के अभ्यर्थी के लिए अनुमंडल पदाधिकारी या जिलाधिकारी) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षित कोटि के SC/ST अभ्यर्थियों के लिए)
4. बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित्त जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमिलेयर रहित प्रमाण-पत्र (BC/MBC अभ्यर्थी हेतु)
5. सक्षम प्राधिकार से निःशक्तता प्रमाण-पत्र (विकलांग कोटि के अभ्यर्थी के लिए)
6. बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश-पत्र
7. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र
8. पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत्त (Character & Antecedents) सत्यापन प्रपत्र तीन प्रतियों में (मूल रूप में) अभ्यर्थी अपने साथ लायें। उक्त विहित प्रपत्र सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के वेब साईट www.cooperative.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
9. अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र कि "सभी प्रमाण-पत्र सही हैं तथा उनके विरुद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केश दर्ज नहीं है एवं उनका आचरण प्रतिकूल नहीं है तथा पूर्व में किसी फौजदारी मामले में सजा नहीं हुई है।" उक्त विहित प्रपत्र सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के वेब साईट www.cooperative.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
10. पासपोर्ट साईज का अभ्यर्थी का नाम प्रिन्टेड रंगीन फोटो - 05 (पाँच)

नोट - (1) प्रमाण-पत्रों की जाँच हेतु सम्मिलित हाने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(2) जो अभ्यर्थी उक्त सत्यापन कार्यक्रम के अनुसार जाँच हेतु उपस्थित नहीं होंगे, उनकी अभ्यर्थिता के विरुद्ध विधिसम्मत निर्णय ले लिए जाएंगे।

बिहार

निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।